

संतकबीरनगर पुलिस द्वारा किए गये सराहनीय कार्यों का विवरण
वारण्टी

थाना महुली पुलिस द्वारा 01 वारण्टी नाम पता शिवदास पुत्र सीताराम निवासी रेहा धन्जवल थाना महुली जनपद सन्तकबीरनगर को गिरफ्तार किया गया ।

03 अदद अवैध चाकू के साथ 03 अभियुक्त गिरफ्तार

थाना दुधारा पुलिस द्वारा 03 अभियुक्तगण नाम पता 1- इम्तियाज अहमद पुत्र अब्दुल हमीद निवासी छपिया छितौना 2- रशीद अहमद पुत्र गरीकुल्लाह निवासी हटवा 3- मो0 अमीश पुत्र मो0 नईम निवासी कर्माखान थाना दुधारा जनपद सन्तकबीरनगर को 01-01-01 अदद चाकू के साथ गिरफ्तार कर क्रमशः मु0अ0सं0 291/20, 293/20 व 294/20 धारा 4/25 आर्म्स एक्ट पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है ।

आबकारी अधिनियम के अन्तर्गत 10 लीटर अवैध कच्ची शराब के साथ 01 अभियुक्त अभियुक्त गिरफ्तार

थाना धनघटा पुलिस द्वारा 10 अवैध कच्ची शराब के साथ 01 अभियुक्त नाम पता पुत्ती निषाद पुत्र लंगड निवासी नेतवापुर थाना धनघटा जनपद संतकबीरनगर को 10 लीटर अवैध कच्ची के साथ गिरफ्तार कर थाना धनघटा पर मु0अ0सं0 591 / 2020 धारा 60(1) आबकारी अधिनियम पंजीकृत किया गया ।

शान्ति भंग (151/107/116 सीआरपीसी) मे 23 अभियुक्त गिरफ्तार

- थाना कोतवाली खलीलाबाद पुलिस द्वारा 151/107/116 सीआरपीसी में 03 अभियुक्त गिरफ्तार किया गया ।
- थाना महुली पुलिस द्वारा 151/107/116 सीआरपीसी में 03 अभियुक्त गिरफ्तार किया गया ।
- थाना बखिरा पुलिस द्वारा 151/107/116 सीआरपीसी में 04 अभियुक्त गिरफ्तार किया गया ।
- थाना बेलहरकला पुलिस द्वारा 151/107/116 सीआरपीसी में 05 अभियुक्त गिरफ्तार किया गया ।
- थाना मेंहदावल पुलिस द्वारा 151/107/116 सीआरपीसी में 08 अभियुक्त गिरफ्तार किया गया ।

पीआरवी आफ द डे

पीआरवी 2547 द्वारा राह भटके व्यक्ति को घर पहुँचाया गया – पीआरवी 2547 को थाना बेलहरकला के खजुरिया से इवेन्ट संख्या 09756 से एक व्यक्ति के रास्ता भूल जाने के सम्बन्ध में सूचना दिया। सूचना मिलते ही पीआरवी कर्मियों द्वारा तत्काल 07 मिनट में मौके पर पहुँचकर व्यक्ति को उसके परिजनों के सुपुर्द किया गया। पीआरवी कर्मियों की सतर्कता एवं सूझबूझ से घटना स्थल पर समय से पहुँचकर रास्ता भटके व्यक्ति को उसके परिजनों के सुपुर्द किया गया, जिसकी स्थानीय व्यक्तियों द्वारा सराहना की गई।

पीआरवी स्टाफ –आरक्षी वीरेन्द्र यादव, आ0चा0 वीरेन्द्र कुमार सरोज।

मोटर वाहन अधिनियम के अन्तर्गत 94 वाहनो से 91600 रु0 सम्मन शुल्क वसूल किया गया
आज दिनांक 29-09-2020 को जनपद संतकबीरनगर के सभी थाना क्षेत्रो मे बैंक / वाहन / संदिग्ध व्यक्तियो की चेकिंग के दौरान समस्त प्रभारी निरीक्षक / थानाध्यक्ष / प्रभारी यातायात द्वारा मोटर वाहन अधिनियम के अन्तर्गत कड़ी कार्यवाही करते हुए 94 वाहनो से 91600 रु0 सम्मन शुल्क वसूल किया गया।